प्रेस नोट ***10/11/2024***

किन्नर का वेश बनाकर छिनैती की घटना मे शामिल 03 अभियुक्ता सहित कुल 04 अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद कान का टाप्स (पीली धातु), 03 मोबाइल फोन व 500 रूपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो बरामद–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में छिनैती की घटना मे शामिल अभियुक्तो को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 09.11.2024 को कचहरी मोड़ थाना कोतवाली नगर मऊ से 03 नफर अभियुक्ता पुत्तुल उर्फ खुशबुन निशा पत्नी इदरीश निवासी जमालपुरा थाना दुल्लाहपुर जनपद गाजीपुर, निकुरी उर्फ हाजरा खातून पत्नी तेजू निवासी जमालपुरा थाना दुल्लाहपुर जनपद गाजीपुर, सफरीना पत्नी तसलीम निवासी खुदाबक्सपुर थाना दुल्लाहपुर जनपद गाजीपुर व एक अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र सलाम अहमद निवासी कोडारी थाना मरदह जनपद गाजीपुर को 02 अदद कान का टाप्स पीली धातु व 500 रूपये नगद व घटना कारित करनें में प्रयुक्त एक अदद वाहन बोलेरो नं. UP61V0459 के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त महिलाएं किन्नर का वेश बनाकर डॉ गंगा सागर सिंह, पुत्र- स्व. कमलाकर सिंह, निवासी म. नं. 817 गाजीपुर तिराहा निकट हीरो एजेन्सी सहादतपुरा जनपद मऊ के घर मे घुसकर उनकी पत्नी श्रीमती कुसुम सिंह को अकेली पाकर छिनैती, लूट आदि की घटनाएं कारित किये जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ में मु0अ0सं0 370/24 धारा 309(4), 333, 317(2), 3(5) बीएनएस पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। तथा बरामद बोलेरो वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

अपराध करने का तरीका - उक्त महिलाओ द्वारा सबसे पहले चार पहिया वाहन किराये पर लेकर गांव- शहर में किन्नर का वेश भूषा बनाकर घर मे घुसकर अकेली रहने वाली महिलाओं को धर्म का हवाला देकर रूपया पैसा एवं आभूषण मांगते है। अगर महिलाएं आसानी से नहीं देती है तो जबरदस्ती छिनकर चार पहिया वाहन से भाग जाते है। ये लोग गाड़ी चालक को किराया भी देते है तथा ज्यादा आभूषण मिलने पर उसमे भी हिस्सा देते है।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु.अ.सं. 370/24 धारा 309(4), 333, 317(2), 3(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. पुत्तुल उर्फ खुशबुन निशा पत्नी इदरीश निवासी जमालपुरा थाना दुल्लाहपुर जनपद गाजीपुर।
2. निकुरी उर्फ हाजरा खातून पत्नी तेजू निवासी जमालपुरा थाना दुल्लाहपुर जनपद गाजीपुर।
3. सफरीना पत्नी तसलीम निवासी खुदाबक्सपुर थाना थाना दुल्लाहपुर जनपद गाजीपुर।
4. अफजाल अंसारी पुत्र सलाम अहमद निवासी कोडारी थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

बरामदगी -

1. 02 अदद कान का टाप्स पीली धातु।
2. 03 अदद मोबाइल फोन।
3. 500 रूपये नगद।
4. एक अदद वाहन बोलेरो नं. UP61 V 0459।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. उ0नि0 शंकर कुमार यादव चौकी प्रभारी सारहू, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
3. प्रशिक्षु म.उ.नि. सुधा अग्रहरि, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
4. का. शिवम भारतीय थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
5. म.का. मीनू बाजपेयी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 02 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 313 मामलों में से 5 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 101.1.2024 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 35 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 13 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 02 दंपति तरन्नुम/मोहम्मद आसिफ, सीमा यादव/अरविन्द आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 02 मामले में एफआईआर का निर्णय तथा 09 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 2411..2024 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद, उसमरजीत यादव 0नि0, म पुनम 0आ0पाल उपस्थित रही।

धारा 83 सीआरपीसी के अन्तर्गत चल सम्पत्ति किया गया कुर्क–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन में मुकदमो मे वांछित अभियुक्तो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ,थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0432 / धारा 2017 323,504,506, 498-ए भादवि3 व./ डीपी एक्ट मे वांछित चल रहे अभियुक्त4मोआयूब पुत्र महबूब निवासी 0 जमालपुर विक्कमपुर, थाना घोसी, जनपदमऊ- के विरुद्ध माननीय न्यायालय जे एफटीसी /.एम.द्वितीय जनपद मऊ द्वारा जारी 10 सीआरपीसी के क्रम मे आज दिनाँक 83.11.अभिषेक तिवारी द्वारा अभियुक्त .नि.को उ 2024 के घर ग्रामजमालपुर विक्कमपुर, थाना घोसी, जनपदमऊ- मय हमराही कर्मचारीगण के अभियुक्त के घर पहुंचकर अभियुक्त की तलाश की गयी तथा अभियुक्त घर पर मौजूद नही मिला । मौके पर मुहल्ला के मुहल्ले के दो गवाहो की मौजूदगी में अभियुक्त मुअयूब उपरोक्त की 0 चल सम्पत्ति को चिन्हित कराकर कुर्की की कार्यवाही नियमानुसार की गयी तथा कुर्क सम्पत्ति को कब्जा पुलिस मे लिया गया।

सम्पत्ति कुर्क करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 अभिषेक तिवारी थाना घोसी जनपद मऊ
2. उ अरुण कुमार 0नि0घोसी जनपद मऊ,
3. म.का00 निशी सिंह घोसी जनपद मऊ,